चित्रकूट-पुलिस

(3). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत आज दिनांक 20.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के अलावा जागरुकता हेतु चलाए जा रहे अभियानों के बारे में सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 20.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी रविप्रकाश द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री ब्रजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 232/2014 धारा 323,325,336,504 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रामनरेश पुत्र रघुवर दयाल निवासी ग्राम भौंरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 02 वर्ष का साधारण कारावास व 16000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(4). आज दिनाँक 20.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन्स परिसर में पुलिस लाइन्स, फील्ड यूनिट,साइबर थाना, डायल 112 कार्यालय, अभियोजन कार्यालय, न्यायालय सुरक्षा में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा श्रमदान किया गया । इस दौरान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा स्वयं समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण के साथ पुलिस लाइन्स स्थित समस्त कार्यालय,आवासीय परिसर, बैरिक की साफ-सफाई की गयी ।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा सभी को अपने आस-पास साफ-सफाई रखने एवं स्वच्छ रहने हेतु प्रत्साहित किया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन्स श्री यामीन अहमद, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, पीआरओ श्री प्रदीप कुमार पाल एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वांछित व 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(क).उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय थाना भरतकूप तथा उनके हमराही आरक्षी अखिलेश तोमर द्वारा मु0अ0सं0 141/2024 धारा 64,351(3) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त विनय सिंह पुत्र रामराज सिंह निवासी रम्पुरवा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ख). चौकी प्रभारी सरैंया श्री श्यामदेव सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी मनोज कुमार, राजमंगल बिन्द द्वारा मु0अ0सं0 189/2024 धारा 305,331(4),317(2) बीएनएस के वांछित अभियुक्त प्रकाश यादव पुत्र भूरा निवासी गढ़चपा थाना मानकिपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ग). उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा थाना सरधुवा तथा उनके हमराही आरक्षी शक्ति सिंह द्वारा मु0नं0 75/2015 धारा 323,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त बक्का पुत्र बाबूलाल केवट निवासी नन्ही का डेरा मजरा बरद्वारा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों को 20 लीटर कच्ची व 19 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(i). उ0नि0 श्री रामआधार सिंह थाना मानिकपुर तथा उनके हमराही आरक्षी अजीजुद्दीन द्वारा अभियुक्त जंगली कोल पुत्र स्व0 दयाराम कोल निवासी ग्राम सहकत मजरा कोटा कदैला थाना मानिकपुर जनपद को 15 लीटर कच्ची शराब बके साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय थाना सरधुवा तथा उनके हमराही आरक्षी नरेन्द्र कुमार द्वारा अभियुक्त दयासागर आरख पुत्र गोकुल आरख निवासी ब्यौहरा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iii). चौकी प्रभारी खण्डेहा श्री विनय विक्रम सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी मनीष यादव द्वारा अभियुक्त जयनारायण सिंह पुत्र शिवप्रताप सिंह निवासी मवई खुर्द थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 19 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।